

W-11045/12/2012-CRSP  
Government of India  
Ministry of Drinking Water and Sanitation  
NBA Division

12<sup>th</sup> Floor Paryawaran Bhawan  
CGO Complex, Lodhi Road  
New Delhi-110003  
Date 13.06.2013

To

**Principal Secretary/Secretary in-charge of Rural Sanitation**  
All States/UTs


**Subject : Regarding Nirmal Gram Puraskar 2013**

Madam/Sir

It is intimated that the Ministry has already issued Generic Guidelines and Time Schedule for processing and selection of Gram Panchayats for NGP-2013 award and that are also available in the Ministry's website. The application form, Survey team format and flow chart for NGP 2013 are enclosed at Annexure-1, Annexure-2 and Annexure-3 respectively for further necessary action.

With regards,

Yours faithfully,

  
(Pratima Gupta)  
Director(NBA)

Copy to :

State Coordinator (NBA) –All States/UTs

Copy also to :

PS to Secretary (DWS)/PS to JS (Sanitation)/Director (NIC) - for uploading in Ministry's website



आधारभूत सर्वेक्षण के दौरान स्थिति					
परिवारों की संख्या	आबादी	बीपीएल परिवार		एपीएल परिवार	
		शौचालय वाले	बगैर शौचालय के	शौचालय वाले	बगैर शौचालय के

किस तारीख को ग्राम पंचायत को पूर्णतः कवर किया गया था

--	--	--	--	--	--

परिवारों के कवरेज की स्थिति								
परिवारों की संख्या	अनु.जा. / जनजाति परिवारों की संख्या	आबादी	बीपीएल परिवार		एपीएल परिवार		सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करने वाले परिवारों की संख्या	इन सामुदायिक शौचालयों में उपयोग करने योग्य शौचालय-सीटों की संख्या
			शौचालय वाले	बगैर शौचालय के	शौचालय वाले	बगैर शौचालय के		

9. ग्राम पंचायतों का संस्थागत विवरण:

आंगनवाडी के कवरेज की स्थिति		
आंगनवाडी का नाम	आंगनवाडी में बच्चों की संख्या	क्या वहाँ उपयोग योग्य शौचालय है? (हाँ/नहीं)

**ग्राम पंचायत में स्कूलों के कवरेज की स्थिति**

(केवल सह शिक्षा वाले उच्चतर प्राइमरी/हाईस्कूल/हायर सैकण्डरी स्कूल के बालक और बालिकाओं के कॉलमों को भरे जाने की आवश्यकता है। अन्यथा कुल के अलावा, केवल बालक/बालिकाओं के कॉलम भरे जाने की आवश्यकता है।)

स्कूल का नाम	स्कूल-श्रेणी (प्राइमरी/अपर प्राइमरी/हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी)	स्कूल का प्रकार (बालक/बालिकाएँ/सह शिक्षा)	कुल विद्यार्थी			कुल उपलब्ध यूरीनल सीटें			कुल उपलब्ध शौचालय सीटें		
			कुल	बालक	बालिकाएँ	कुल	बालक	बालिकाएँ	कुल	बालक	बालिकाएँ

पिछले तीन वर्षों में डायरिया के मामलों की संख्या (एएनएम/पीएचयू/पीएचसी रिकार्डों से आंकड़ा लिया जाना है)

2010

2011

2012

पात्रता की शर्तें:

**1. व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल)**

1.1 क्या सभी परिवारों द्वारा शौचालयों का, प्रवासी मजदूरों द्वारा सार्वजनिक स्थलों का उपयोग किया जा रहा है और क्या ग्राम पंचायत में खुले में शौच की स्थिति पाई गई है? हाँ  नहीं

1.2 क्या शौचालयों का निर्माण इस तरह से किया गया है जिससे कि सुरक्षित रीति से मल को रखा जा सके? हाँ  नहीं

1.3 क्या पारिवारिक और सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों का उपयुक्त रूप से रख-रखाव किया गया है? हाँ  नहीं

1.4 क्या शिशु मल का सुरक्षित रीति से निपटान किया जाता है? हाँ  नहीं

1.5 क्या कोई व्यक्ति हाथ से सफाई करता हुआ पाया गया? हाँ  नहीं

## 2. स्कूली स्वच्छता

2.1 क्या स्कूलों में बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक और पर्याप्त शौचालय उपलब्ध है?

हाँ  नहीं

2.2 क्या विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा शौचालयों का उपयोग किया जा रहा है?

हाँ  नहीं

2.3 क्या स्कूल शौचालयों का उपयुक्त रख-रखाव किया गया है?

हाँ  नहीं

2.4 क्या हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध है?

हाँ  नहीं

2.5 क्या स्कूल में पीने और अन्य उद्देश्यों हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध है?

हाँ  नहीं

## 3 आंगनवाडी स्वच्छता

3.1 क्या आंगनवाडी में शौचालय उपलब्ध है?

हाँ  नहीं

3.2 क्या बच्चों द्वारा शौचालयों का उपयोग किया जा रहा है?

हाँ  नहीं

3.3 क्या आंगनवाडी शौचालयों का उपयुक्त तरीके से रख-रखाव किया जा रहा है?

हाँ  नहीं

3.4 क्या हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध है?

हाँ  नहीं

3.5 क्या आंगनवाडी में पीने और दूसरे उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है?

हाँ  नहीं

## 4 एनआरडीडब्ल्यू दिशा-निर्देशों के अनुसार जल की उपलब्धता

4.1 क्या ग्राम पंचायत के प्रत्येक निवासी के लिए 55 लि. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से जल उपलब्ध है?

हाँ  नहीं

4.2 क्या 100 मीटर तक की दूरी के भीतर प्रत्येक परिवार के लिए जल स्रोत उपलब्ध है?

हाँ  नहीं

4.3 क्या सभी जल स्रोतों का नियमित परीक्षण किया जा रहा है?

हाँ  नहीं

### 5. सूचना शिक्षण सम्प्रेषण (आईईसी)

5.1 क्या स्कूलों और आंगनवाडी शौचालयों के आस-पास बच्चों के अनुकूल चित्र और पेंटिंग हैं?

हाँ  नहीं

5.2 क्या ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी संदेश दर्शाए गए हैं?

हाँ  नहीं

5.3 क्या स्वच्छता दूत नियुक्त किए गए हैं तथा क्या उन्हें एक दूसरे से व्यक्तिगत तौर पर सम्प्रेषण के लिए लगाया गया है?

हाँ  नहीं

5.4 क्या जागरूकता लाने के लिए ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक, लोक-कला, नृत्य-नाटिका आदि, जैसे बाह्य और पारंपरिक मीडिया से संबंधित गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं?

हाँ  नहीं

5.5 क्या ग्राम पंचायत में स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए सामुदायिक गतिविधियाँ जैसे कि समुदाय के लीडरों, युवा-दलों, महिला दलों आदि का नेटवर्क बनाना जैसे आयोजन किए जाते हैं?

हाँ  नहीं

5.6 क्या खुले में शौच करने पर लगी रोक की अवहेलना करने पर दण्ड-राशि एकत्रित की जा रही है?

हाँ  नहीं

### 6. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

6.1 क्या परिवार और ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट को अलग करने की कोई उपयुक्त प्रणाली है?

हाँ  नहीं

6.2 क्या परिवार अथवा ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित रूप से ले जाने तथा/अथवा निपटान की कोई उपयुक्त प्रणाली है?

हाँ  नहीं

6.3 क्या सड़कों, खुले क्षेत्रों तथा आस-पास के क्षेत्रों में सामान्य साफ-सफाई है?

हाँ  नहीं

## 7 तरल अपशिष्ट प्रबन्धन

- 7.1 क्या पारिवारिक स्तर पर तरल अपशिष्ट के निपटान और प्रबन्धन की कोई उपयुक्त प्रणाली है? हाँ  नहीं
- 7.2 क्या जल स्रोतों और अपवहन तंत्र के आस-पास उपयुक्त प्लेटफार्म है? हाँ  नहीं
- 7.3 क्या सार्वजनिक क्षेत्रों और निकटवर्ती सार्वजनिक जल स्रोतों में अपशिष्ट जल का उपयुक्त निपटान और प्रबन्धन है? हाँ  नहीं
8. क्या ग्राम पंचायत की सभी बसावटों में प्रत्येक परिवार के लिए पाइप द्वारा जल आपूर्ति के कनेक्शन है? हाँ  नहीं

## प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत में सभी परिवारों के सभी सदस्यों द्वारा शौचालयों का उपयोग किया जा रहा है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में खुले में शौच की प्रथा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारे ग्राम पंचायत में सभी स्कूलों और आंगनवाडियों में पर्याप्त तथा उपयोग योग्य शौचालय एवं पेशाबघर की सुविधा है, जिनका कि बच्चों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में सभी सह-शिक्षा अपर प्राइमरी/हाईस्कूल/हायर सैकण्डरी स्कूलों में बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय ब्लॉक हैं। सभी शौचालयों का उपयुक्त तरीके से रख-रखाव किया गया है तथा विद्यार्थियों को स्वच्छता एवं साफ-सफाई से संबंधित पहलुओं के बारे में शिक्षित किया जाता है। हमारे ग्राम पंचायत में कूड़े-कचरे का निपटान करने तथा जल निकासी प्रणाली का कार्यशील तंत्र है।

इसे ध्यान में रखते हुए, हम अनुरोध करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाए। हम यह भी विश्वास दिलाते हैं कि हम पुरस्कार के रूप में प्राप्त धनराशि का उपयोग अपने ग्राम पंचायत में स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में और अधिक सुधार लाने में करेंगे।

अध्यक्ष/प्रधान, ग्राम पंचायत  
(नाम, हस्ताक्षर तथा तिथि)

सदस्य सचिव, ग्राम पंचायत  
(नाम, हस्ताक्षर तथा तिथि)

निम्न द्वारा आवेदन का सत्यापन तथा अनुशंसा की गई है

1. कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायत  
( हस्ताक्षर तथा तिथि, आधिकारिक मुहर के साथ नाम )
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत  
( हस्ताक्षर तथा तिथि, आधिकारिक मुहर के साथ नाम )



संकल्प

हम ग्राम पंचायत \_\_\_\_\_ के

ग्राम सभा के सदस्य

ब्लॉक / तालुक / मंडल

जिला

राज्य

एतद्वारा यह संकल्प लेते हैं कि अपने गांव में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य, गरिमा, निजता तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हम में से कोई भी खुले में शौच नहीं करेगा। शिशु मल का निपटान भी केवल शौचालयों में ही किया जाएगा। हम ग्राम सभा के सदस्य संकल्प लेते हैं कि खुले में शौच करने अथवा शिशु मल का खुले में निपटान करने पर यदि किसी भी द्वारा इस संकल्प को तोड़ा जाएगा तो \_\_\_\_\_ का प्रशासनिक शुल्क / पैनाल्टी उस पर लगाई जाएगी। हम खुले में शौच से बचाव करने के लिए निगरानी की निम्नलिखित प्रणाली स्थापित करने का भी संकल्प करते हैं।

प्रत्येक खाने में प्रधान / सदस्यों के पूरे नाम सहित उनके हस्ताक्षर दिए जाएँ।

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15

निर्मल ग्राम पुरस्कार 2013 के लिए सर्वेक्षण  
(ग्राम पंचायतों के लिए)  
सर्वेक्षण दल द्वारा भरा जाए

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. राज्य            | <input type="text"/> |
| 2. जिला             | <input type="text"/> |
| 3. ब्लॉक/तालुक/मंडल | <input type="text"/> |
| 4. ग्राम पंचायत     | <input type="text"/> |

पात्रता संबंधी शर्तें:

1. व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल)

अधिकतम अंक प्राप्त अंक

- |  |                                 |                      |
|--|---------------------------------|----------------------|
| 1.1 सभी परिवारों द्वारा शौचालय का उपयोग, प्रवासी मजदूरों द्वारा सार्वजनिक स्थलों का उपयोग तथा ग्राम पंचायत में खुले में शौच नहीं पाया गया है | <input type="text" value="30"/> | <input type="text"/> |
| 1.2 शौचालयों का इस प्रकार से निर्माण किया गया हो कि मल का सुरक्षित रीति से निपटान हो (उन्नत/सुरक्षित स्वच्छता)                               | <input type="text" value="5"/>  | <input type="text"/> |
| 1.3 पारिवारिक एवं सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों का उपयुक्त रख-रखाव किया जाता है   | <input type="text" value="5"/>  | <input type="text"/> |
| 1.4 शिशु मल का सुरक्षित निपटान किया जाता है  | <input type="text" value="5"/>  | <input type="text"/> |
| 1.5 ग्राम पंचायत में कोई व्यक्ति हाथ से सफाई नहीं करता है  | <input type="text" value="5"/>  | <input type="text"/> |

**2. विद्यालय स्वच्छता**

2.1 स्कूलों में बालक और बालिकाओं के लिए पृथक और पर्याप्त शौचालयों की उपलब्धता

2.2 विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा शौचालयों का उपयोग किया जा रहा है

2.3 विद्यालय शौचालयों का उपयुक्त रख-रखाव किया जा रहा है

2.4 हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध है

2.5 विद्यालय में पीने और अन्य उद्देश्यों हेतु पर्याप्त जल की उपलब्धता

**3. आंगनवाड़ी स्वच्छता**

3.1 आंगनवाड़ी में शौचालय की उपलब्धता

3.2 बच्चों द्वारा शौचालय का उपयोग किया जा रहा है

3.3 आंगनवाड़ी शौचालय का उपयुक्त रख-रखाव किया गया है

3.4 हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध है

3.5 आंगनवाड़ी में पीने और अन्य उद्देश्यों हेतु पर्याप्त जल की उपलब्धता

**एनआरडीडब्लूपी दिशा-निर्देशों के अनुसार जल की उपलब्धता**

4.1 ग्राम पंचायत के प्रत्येक निवासी के लिए 55 लि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से जल की उपलब्धता

4.2 प्रत्येक परिवार के लिए 100 मीटर की दूरी पर जल स्रोत की उपलब्धता

4.3 सभी जल स्रोतों का नियमित परीक्षण

**अधिकतम अंक**

**प्राप्त अंक**

**5 सूचना, शिक्षण संप्रेषण (आईईसी)**

5.1 स्कूल और आंगनवाडी शौचालयों के आस-पास बच्चों के अनुकूल चित्र और पेंटिंग

5.2 ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थलों में स्वच्छता और साफ-सफाई से संबंधित संदेशों का प्रदर्शन

5.3 अन्तरवैयक्तिक संप्रेषण के लिए स्वच्छता दूतों की नियुक्ति

5.4 जागरूकता लाने के लिए ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक, लोक-कला, नृत्य-नाटिका आदि, जैसे बाह्य और पारंपरिक मीडिया गतिविधियों का आयोजन

5.5 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता और साफ-सफाई के बारे में सूचना प्रसारित करने हेतु समुदाय संगठन गतिविधियाँ जैसे कि समुदाय के लीडरों, युवा दलों, महिला दल आदि का नैटवर्क बनाना जैसे आयोजन

1	
---	--

5.6 खुले में शौच करने पर लगी रोक की अवहेलना करने पर दण्ड राशि का एकत्रण

2	
---	--

## 6. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

6.1 परिवार और ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट को अलग करने की उपयुक्त प्रणाली

2	
---	--

6.2 परिवार अथवा ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट को सुरक्षित रीति से ले जाने तथा/अथवा निपटान की उपयुक्त प्रणाली

2	
---	--

6.3 सड़कों, खुले क्षेत्रों तथा आस-पास में सामान्य साफ-सफाई

2	
---	--

## 7 तरल अपशिष्ट प्रबन्धन

7.1 पारिवारिक स्तर पर तरल अपशिष्ट के उपयुक्त निपटान और प्रबन्धन

4	
---	--

7.2 जल स्रोतों और नालों के आस-पास उपयुक्त प्लेटफार्म

3	
---	--

7.3 सार्वजनिक क्षेत्रों और निकट स्थित सार्वजनिक जल स्रोतों में अपशिष्ट जल का उपयुक्त निपटान और प्रबन्धन

3	
---	--

कुल

100	
-----	--

नोट: निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत को 90 अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे एवं कम संख्या 1.1 से 5.6 तक 85 अंकों का होना अनिवार्य है।

8. उन ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त 5 बोनस अंक मिलेंगे जहाँ कि ग्राम पंचायत के सभी बसावाटों में पारिवारिक प्रकार के पाइप द्वारा जल आपूर्ति के कनेक्शन उपलब्ध है।

अधिकतम अंक प्राप्त अंक

5	
---	--



निर्मल ग्राम पुरस्कार चयन प्रक्रिया का फ्लो-चार्ट

